फोन : कार्यालय - 340363

प्रेषक :

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर (उ० प्र०)

इस कार्यालय को ... वाले सभी पत्रों ... व्यवहार की ... तथा उद्धृत विभा... दिया जाय।

सेवा में,

प्राचार्य,
चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला
पी0जी0कालेज, गोरखपुर ।

पत्र संख्या :- 1042-46 /सम्बध्दता/2003 दिनांक 27-2-2004

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय में कक्षा संचालन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 24-1-2003 का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त के संबंध में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय में 40 छात्राओं के एक वर्ग को सत्र 2002-2003 से कक्षा संचालन की अनुमति कला संकाय परिषद एवं विद्या परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान करने की कृपा की है ।

तदनुसार अवगत होवें ।

भवदीय

कुलसचिव 27/2/03

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

§1§ अधिष्ठाता कला संकाय, दी0द0उ0गो0 वि0 वि0गोरखपुर

§2§ परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0गो0 वि0 वि0गोरखपुर ।

§3§ सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0गो0 वि0 वि0गोरखपुर ।

§4§ प्रभारी कमेटी अनुभाग, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव वांछित बैठक में रखने का कष्ट करें

कुलसचिव

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२६०२७

संख्या-ई०यू० 5642 /जी०एस०
दिनांक 10/11 2004

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

महोदय,

आपके पत्र संख्या-४१२६-३०/सम्बद्धता/२००४ दिनांक २०.७.२००४ मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) तथा संशोधन अधिनियम २००३ की धारा -५ के परन्तुक के प्रावधानों के अधीन चन्द्रकांति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी एवं संगीत गायन एवं वादन विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००४ से आगामी तीन वर्षो हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

.१ महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा करा लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

२ संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

३ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव,उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र०१८-ए,न्याय मार्ग,इलाहाबाद।

२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।

३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद

४. प्राचार्य, चन्द्रकांति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,गोरखपुर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 5818 /जी.एस.
दिनांक 17.11. २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

महोदय,

आपके पत्र संख्या-६६१०/सम्बद्धता/२००४ दिनांक २१.१०.२००४ मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१६७३ की धारा ३७(२) के प्रावधानों के अधीन चन्द्रकांती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में ललित कला एवं राजनीतिशास्त्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र ~~एवं~~ राजनीतिशास्त्र विषयों मे स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१ संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव,उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र०१८-ए,न्याय मार्ग,इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद
४. प्राचार्य चन्द्रकांती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,गोरखपुर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव